

मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन कीमत तय करता है उससे ज्यादा दाम पर सीमेंट कतरई न बिके इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और कड़ाई के साथ इस के लिये कोई कार्यवाही करनी चाहिए

**REFERENCE TO THE REPORTED  
DISPUTE BETWEEN THE STATE  
GOVERNMENT OF PUNJAB AND  
HIMACHAL PRADESH REGARDING  
USE OF WATER FROM PONG DAM**

डा० भाई महावीर (मध्य प्रदेश) :  
उपनामपति जी, अभी हाल में एक समाचार यू० एन० आई० को तरफ से प्रसारित हुआ है। उसमें यह कहा गया है कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम के पानी के उपयोग के बारे में जो एक झगड़ा चल रहा है अगर उस का फैसला ठीक तौर से न हुआ और शाहनहर जो पंजाब बना रहा है उसके द्वारा पैदा होने वाली बिजली में हिमाचल को उपयुक्त या पर्याप्त हिस्सा न मिलेगा तो हिमाचल अपनी एक अलग नहर खोद कर पोंग डैम के पानी को अपने काम में ले लेगा। इस का नतीजा यह निकलेगा कि पंजाब का 270 करोड़ का शाहनहर का प्रोजेक्ट बेकार हो जायगा। महोदय दोनों के बीच में कितना अविश्वास हो गया है यह इससे प्रकट होता है कि हिमाचल प्रदेश को और से यह कहा गया है कि पंजाब गुप्त रूप से एक नहर खोद रहा है ताकि अगर हिमाचल प्रदेश ने अपने इलाके से शाहनहर को गुजरने का मौका न दिया तो हिमाचल के इलाके को छोड़ कर वह दूसरी तरफ से पानी निकाल लेगा जिसका परिणाम होगा कि हिमाचल के हिस्से से उसको वंचित रखा जायगा। महोदय, इस रिपोर्ट का जो आखिरी पैरा है उसको मैं पढ़ रहा हूँ :

"Himachal, the sources said, was also concerned about the 'secret' digging of

a 'deep' canal by Punjab in its territory apparently to serve as a feeding canal to the Shah Nehar in case. Himachal Pradesh did not allow the Shah Nehar to pass through its territory. This was in violation of the understanding given by Punjab at recent meeting, they added."

इस विवाद से महोदय जो ध्वनि निकलती है वह ऐसी है जैसे बंगला देश का विवाद भारत के साथ हो रहा हो। उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता। यह एक ही देश है, एक ही केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत दोनों प्रदेशों की सरकारें चलती हैं, फिर भी इस तरह की खबर छपे, यह कितने दुख और चिन्ता की बात है, यह बात मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ। यह मैं खास कर इस वास्ते चाहता हूँ कि मेरे सामने इस तरह के समाचार हैं कि पिछली 3 सितम्बर, 1982 को श्री केदार पांडे जी ने एक बयान दिया है कि एक राष्ट्रीय जल संस्थान परिषद् की शीघ्र ही स्थापना होगी जिसको अध्यक्ष श्रीमती इन्दिरा गांधी हमारी प्रधान मंत्री होंगी और इसका उद्देश्य होगा कि राष्ट्रीय जल मार्गों से सम्बद्ध नीति का निर्धारण किया जाय, जल का अधिकतम उपयोग हो और जल संबंधी विवादों को न्यूनतम किया जाय। यह उद्देश्य लेकर जो परिषद् बनेगी उसको घोषणा कम से कम जून के प्रारम्भ से होनी आ रही है। अक्टूबर समाप्त होने को आ गया। अगर परिषद् को स्थापना अभी नहीं हुई। अगर यही हालत रही तो कभी केदार पांडे जी का यह बयान आता है कि नदियों के जल को केन्द्रीय सरकार की संपत्ति बना दिया जायगा, कभी यह आता है कि इसके लिये जल को, राष्ट्रीय योजना बन रही है, कभी कुछ और तो यह जो कुछ हो रहा है उससे जाहिर होता है कि केन्द्रीय सरकार कितने आराम से इस बात को ले

[डा० भाई महावीर]

रहो है जबकि स्वयं केदार पांडे जी ने हो यह भी कहा था (इसो मीटिंग में) कि जो 1400 मिलियन एकड़ फुट पानी हमारे पास है उसका केवल सातवां हिस्सा यानी 200 मिलियन एकड़ फुट पानी ही देश के काम में आ रहा है।

इस मामले का संबंध मेरी दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण पहलू से भी है। पोंग डैम और थोन डैम, यह दोनों डैम उस व्यवस्था से संबंध रखते हैं कि जो नहरो पानी सम्बन्धी भारत-पाक समझौते के अनुसार उसके अंतर्गत आती है।

श्रीमान्, मुझे लगता है कि अभी तक वह व्यवस्था भी ठीक से तैयार नहीं हुई। इसलिए मैं आपको इजाजत से, पढ़ रहा हूँ मेरे पास जो एक प्रश्न का उत्तर है जो 1969 में यहां राज्य सभा में, पूछा गया था इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में इसके शब्द ये हैं—

"Under the Treaty, India is required to make certain deliveries of water from the rivers Ravi, Beas and Sutlej to Pakistan during the 'Transition Period'. The present indications are that this Period will end on 31st March, 1970. After the end of the Transition Period, India would not be required to supply any water to Pakistan from the rivers Ravi, Beas and Sutlej. However, some waters may go down the rivers Ravi and Beas after 31st March, 1970. This would be the case during the flood months of July, August and early September. Storages have already been undertaken in order to conserve the flood waters mentioned above and some project reports are under preparation. As soon as the shortages are completed and the 'Rajasthan Canal is fully developed, all the flood waters would be completely utilised in India. There is, therefore, no question of a faulty operation system in India, as a con-

sequence of which Pakistan would continue to get water free of cost even after the prescribed period."

श्रीमान्, यह जवाब दिया गया था 10 मार्च, 1969 को। इसके बाद, मेरे पास जो दूसरी कटिंग है वह 23 जुलाई, 80 की है जिसमें खबर है कि पंजाब के कुछ संसद सदस्य जाकर केन्द्रीय सिंचाई मंत्री से मिले और उन्हें कहा कि जल्दी ही पंजाब को क्लियरेंस दो जाए और थोन डैम के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाए और इन पांच राज्यों के समझौते का इंतजार न किया जाए। इसका मतलब यह है कि 1980 तक यानी 11 साल तीन महीने बाद भी उस पहले जवाब के अनुसार स्थिति यही थी कि थोन डैम बन नहीं रहा है। उसका कारण यह है कि इन पांच राज्यों के अन्दर आपस में समझौता नहीं हो रहा है, परिणाम स्वरूप जो संधि, जो समझौता पाकिस्तान से हुआ था, उपसभापति जी आपको याद होगा, जिसके अनुसार पाकिस्तान को भारत ने सो करोड़ रुपये दिया, 1970 तक, और 1970 के बाद वह सारा पानी हमें रोक लेना चाहिए था, उसको हमने काम में नहीं लिया। हम अपने देश के खेतों को सींचने के लिए उस पानी को इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हुआ यह है कि 1970 तक हमने पैसा तो दे दिया लेकिन उसके बाद भी आपस में विवाद के कारण उस पानी को, थोन डैम का पानी हम रोक नहीं पा रहे हैं। पोंग डैम का भी पता नहीं क्या हो रहा है। जो खबरें अभी भी आ रही हैं, पाकिस्तान को पानी जा रहा है। हमारे राज्यों पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अभी तक यह विवाद है जिसके परिणामस्वरूप देश की जल सम्पत्ति की भारी हानि हो रही है, और इसके बारे में सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार

इस बारे में ध्यान दें और जो राष्ट्रीय जन संसाधन परिषद् बनाने की बात है, इसको जल्दी बनाया जाए। इससे बढ़कर क्या अनुकूल स्थिति होगी श्रीमान् कि इन सारे राज्यों में एक ही पार्टी का शासन है, और उस पार्टी के नेता के रूप में इंदिरा जो हैं जिनके सामने कोई सिर नहीं उठा सकता, अर्थात् स्वाभाविक रूप से उनकी राय की बड़ी कीमत मानी जाती है। उनका कहना माना जाएगा। इसके बाद भी समय बर्बाद हो और प्रदेशों में अण्डा होता रहे, देश का नुकसान जारी रहे तो इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है? अतः मैं सरकार से अपेक्षा

रखूंगा कि इस बारे में पूरा विवरण लाकर सदन के सामने प्रस्तुत करें और इस काम को शीघ्र पूरा कराये, इस भाव से ही मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिला रहा हूँ।

श्री उपसभापति : आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद। अब सदन की कार्यवाही 2 नवम्बर, 1982 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at thirty-five minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 2nd November, 1982.